न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0–112 सन् 2020

लक्ष्मण देव सिंह उर्फ लक्ष्मण देव कुमार सिंह व अन्य............वादीगण

बनाम

टुनटुन सिंह............प्रतिवादी

दिनांक– 01.11.2021

उभय पक्ष अनुपस्थित है। उचित पैरवी करें। आज अभिलेख वादी की ओर से स्थानीय स्थल निरीक्षण हेतु अधिवक्ता आयुक्त नियुक्ति आवेदन दिनांक 23.12.2020 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी की ओर से स्थानीय अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त करने हेतु दाखिल आवेदन में कथन ह कि इस वाद की तकरारी एराजी मद नं0 1 अर्जीनालिश का वास्तविक स्वरूप न्यायहित में न्यायालय के समक्ष आना आवश्यक है। अतः आवेदन में लिखित बिन्दुओं पर किसी अधिवक्ता आयुक्त को नियुक्त कर न्यायाहित में जांच प्रतिवेदन की मांग की जाए।

प्रतिवादी की ओर से उपर्युक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया है।

वादी के विद्वान अधिवक्ताओं को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित है कि इस वाद में प्रतिवादी सं0 1 उपस्थित होकर अपना बयान तहरीरी दाखिल नहीं किए हैं। उन्हें बयान तहरोरी दाखिल करने हेतु पर्याप्त समय एवं अवसर प्रदान के पश्चात् भी समय सीमा के भीतर बयान तहरीरी दाखिल नहीं करने पर उन्हें वंचित किया

गया है। उनकी ओर से उपर्युक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया न ही सुनवाई हेतु उपस्थित हुए। वादीगण ने यह वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध दाखिल कर वादपत्र के परिशिष्ट क की भूमि वादी सं0 2 के पक्ष में घोषणा करने हेतु एवं वादपत्र के परिशिष्ट ख की भूमि से प्रतिवादीगण का नाजायज दखल कब्जा मय लवाजीमात हटाकर वादीगण का दखल कब्जा करा देने हेतु यह वाद दाखिल किया हैं। वादीगण ने दिनांक 23.12.2020 को आदेश 39 नियम 1 वो 2 के अंतर्गत इंतनाई आवेदन भी दाखिल किया है जिसमें उनका कथन है कि तकरारी भूमि खाता सं0 29 खेसरा सं0 730 रकबा 2 कठा 1 धूर में स्थित सेमर पेड़ जो काफी पुराना वो बड़ा व कीमती पेड़ है। उसे नाजायज ढंग से दिनांक 17.12.2020 को प्रतिवादीगण काटने पर आमादा हो गए तथा बाहर से मजदूर बुलाकर उसे काटने हेतु उसके जड़ से मिट्टी हटाने का प्रयास शुरू किए। वादीगण का विरोध करने पर उक्त तिथि को प्रतिवादीगण उसे काट नहीं सके। लेकिन किसी भी क्षण उसे काटने पर आमादा है। साथ ही तकरारी एराजी से मिट्टी काटकर उनके स्वरूप परिवर्तन करने पर आमादा है। ऐसी परिस्थिति में वादीगण की ओर से दाखिल आवेदन पोषणीय है। ताकि तकरारी एराजी की वर्तमान स्थिति न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके। अतः वादीगण की ओर से दाखिल अधिवक्ता आयुक्त नियुक्ति हेतु आवेदन दिनांक 23.12.2020 को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। वादीगण को निर्देश दिया जाता है कि वे अधिवक्ता आयुक्त नियुक्ति शुल्क 2500/— रूपया नजारत में जमा करें।

वाद दिनांक 22.11.2021 को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज

सोनपुर सारण।